निर्णय ब इजलास प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 157/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

डॉ0 अशोक कुमार निवासी ग्राम–पो0 कारोड़ा तहसील बहरोड़

जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान 301020 .....अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ ।

.........प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 21.11.2025

1. सक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ उपलब्ध नहीं करवाने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/495 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय की आवक–जावक शाखा द्वारा उक्तांकित पत्र रिसिप्ट रजिस्टर में दर्ज नहीं होना अंकित कराया है। इसी संबंध में आवेदक को संलग्न पत्र भिजवाने बाबत इस कार्यालय का पत्रांक आरटीआई/2025/476 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा पत्र भिजवाया जा चुका है। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील ड्रोप करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी ने पत्रांक आरटीआई/2025/476 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया है, जिससे अपील सारहीन होना प्रतीत होती है। प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन करने पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।
8. निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़